

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

यहां फोटो  
चस्पा  
करें।

// जीवित रहने का प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी (नाम) श्री/श्रीमति .....  
को देखा है और वह ..... तारीख में जीवित है। इनको यूको. बैंक/स्टेट बैंक आफ इंडिया के  
खाता क्रमांक ..... द्वारा राशि रु. .... मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है।

(X) पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम एवं मोहर)

**बेरोजगार रहने/पुनर्नियोजन का प्रमाण - पत्र**

- (1) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में नियोजित/पुनर्नियोजित नहीं हुआ हूँ/हुई हूँ।
- (2) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने वि.वि. की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् नियोजन स्वीकार किया है और शासन द्वारा इसके साथ लगाई किसी भी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने समाप्त हुई वार्षिकी के दौरान वेतन रु. .... एवं भत्ते ..... प्राप्त किये हैं।

स्थान : .....

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर : (X).....

दिनांक : .....

पेंशनभोगी का नाम : .....

**पुनर्विवाह न करने/ विवाह न करने का प्रमाण - पत्र**

(केवल परिवार पेंशन भोगियों के लिये)

मैं एतद् घोषणा करती हूँ/ करता हूँ कि मैंने विगत वार्षिकी के दौरान विवाह/ पुनर्विवाह नहीं किया है। मैं यह वचन देता हूँ/ देती हूँ कि पुनर्विवाह घटना की सूचना विश्वविद्यालय को तुरंत दूंगा/दूंगी।

स्थान : .....

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर : (X).....

दिनांक : .....

पेंशनभोगी का नाम : .....

// वचन पत्र //

अधोहस्ताक्षरी इस बात से सहमत है और यह वचन देता है कि यदि मेरे पेंशन खाते में पात्रता से अधिक राशि जमा हो जाती है, तो उसे मेरे पेंशन/परिवार पेंशन में से विश्वविद्यालय वसूली करने हेतु अधिकृत होगा।

साक्षी

भवदीय

(1) हस्ताक्षर : .....

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर : (X).....

नाम : .....

पेंशनभोगी का नाम : .....

पता : .....

पता : .....

.....

.....

फोन/मोबाइल नं० : .....

**नोट: 1. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र का सत्यापन बैंक द्वारा कराना अनिवार्य है।**

**2. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर की वेबसाइट [www.jnkvv.nic](http://www.jnkvv.nic) पर भी उपलब्ध है।**

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक-पेंशन/2014/  
प्रति,

दिनांक / /2014.

.....  
.....  
.....  
.....


**विषय :** दिनांक 30.11.2014 तक जीवित होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने बावत्।

—0 0—

उपरोक्त विषयांकित तारतम्य में लेख हैं, कि विश्वविद्यालयीन सेवा से "न्यू पेंशन योजना" के अन्तर्गत सेवानिवृत्त पेंशन/परिवार पेंशन भोगियों के जीवित होने के प्रमाण पत्र इस कार्यालय में समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

अतएव आपसे आग्रह है कि नियमानुसार माह नवम्बर, 2014 के अन्त तक आप अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर) अनिवार्य रूप से अनुभाग अधिकारी (पेंशन) को उपलब्ध कराएं। प्रमाण पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.jnkvv.nic](http://www.jnkvv.nic) पर भी उपलब्ध है।

ज्ञात हो कि निर्धारित अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित जीवित होने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के पेंशन अनुभाग में 30.11.2014 तक प्राप्त न होने की स्थिति में माह नवम्बर 2014 देय दिसम्बर 2014 की पेंशन का भुगतान संभव नहीं हो सकेगा

  
लेखानियंत्रक